

पत्र सं0-9 / व0क्षे0पदा0 (आ0)-35 / 2019। 1877 व0 प0राँची, दिनांक..... 09/07/2020

**झारखण्ड सरकार**  
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक,

**विनय कुमार दास,**  
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

सेवा में,

**मुख्य वन संरक्षक,**  
**वनरोपण शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची।**


**विषय:-**

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र मेदिनीनगर, वन प्रमङ्गल (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र की प्रति विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयके संबंध में कहना है कि श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र मेदिनीनगर, वन प्रमङ्गल (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरुद्ध प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक-2794 दि0-19.08.2019 द्वारा प्राप्त विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव के आलोक में विभागीय ज्ञापन संख्या-815 दिनांक-04.03.2020 द्वारा श्री महेश प्रसाद, सेवानिवृत वन क्षेत्र पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त विभागीय पत्र एवं गठित आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त पत्र एवं आरोप पत्र को विभागीय [Websit-'forest.jharkhand.gov.in'](http://Websit-'forest.jharkhand.gov.in) पर अपलोड करने की कृपा की जाय।  
 अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
 (विनय कुमार दास)  
 सरकार के संयुक्त सचिव

# कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची—834002. - 0651-2481909 (T) / 2480413 (F) email – pccf-jhk@gov.in

पत्रांक : नि०को 90 / 208 - 2794 दिनांक : 19.8.19



झारखण्ड प्रभु मुख्य सचिव  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
झारखण्ड सरकार, रांची।

श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का पत्रांक 2075 दिनांक 29.07.2019 द्वारा श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर (सेवानिवृत) के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के नियम 43 के अधीन विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव सलग्न कर भेजा जा रहा है।

2. श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी मनातु प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर दिनांक 31.05.2018 को सेवा निवृत हो चुके हैं।

3. सलग्न प्रस्ताव में श्री प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में कमशः ₹0 02,90,721.25 तथा ₹0 04,85,797.00 यानि कुल ₹0 07,76,518.25 ₹0 का लेखा समर्पित नहीं करने का अरोप है।

4. ज्ञातव्य होगा कि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा निवृत्त के ऊपर पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाईयों की स्थिति विभागीय पत्रांक 4660 दिनांक 20.11.2018 में प्रेषित है, जिसके अनुसार श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित कुल छ: विभागीय कार्यवाईयों में से 02 विभागीय कार्यवाईयों में दण्ड का अधिरोपण किया जा चुका है, शेष 03 मामलोंमें जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो राज्य सरकार के अधीन समीक्षाधीन है तथा एक मामला में जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

5. चुकि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी दिनांक 31.05.2018 को सेवा निवृत हो चुके हैं एवं उनके पेंशन आदि का अंतिम निस्तारण का मामला अभी लम्बित है, अतः राज्य सरकार सलग्न प्रस्ताव के अनुसार झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 के अधीन एक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इसे तथा पूर्व से लम्बित 04 विभागीय कार्यवाईयों का शीघ्र निष्पादन करना चाहेगी ताकि श्री प्रसाद के पेंशन—आदि के अंतिम निष्पादन पर निर्णय शीघ्र लिया जा सके।

अनु. – यथोक्त।

आपका विश्वासी

27/8/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
झारखण्ड, रांची।

ज्ञातव्य संकेतक
नं. पदाधिकारी क्रमांक विभाग
लं. 362/
21 AUG 2019



# कार्यालय—क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू।

वन भवन, कचहरी रोड, मेदिनीनगर – 822101.

Tel.-06562-222100 / 8987790231 Email-rcf\_pal@rediffmail.com/rccfpalamu@jharkhandmail.gov.in

(34)

सेवा में,

पत्रांक 2075 दिनांक 29/07/2019

30 जूलाई 2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

4800  
रुपये

विषय:-

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत) के विरुद्ध कैम्पा योजना अंतर्गत कराए गए कार्यों का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में विभागीय कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग:-

भवदीय के कार्यालय का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 2416, दिनांक 15.07.2019

महोशय,

दिनांक, गढ़ी

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (सम्प्रति सेवा निवृत) के विरुद्ध कैम्पा योजना अंतर्गत रबदा स्थायी पौधशाला एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू का आवास—सह—कार्यालय की मरम्मति कार्य अंतर्गत कुल 7,76,518.25 (सात लाख छिह्न्तर हजार पाँच सौ अठारह रु 0 पच्चीस पैसे) की राशि का वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 का लेखा समर्पित नहीं करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव प्रपत्र 'क' में गठित करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु०—यथोक्त।

महेश प्रसाद  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक

विश्वासमाजन

Mahesh  
29.7.2019  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू मेदिनीनगर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
मानव उत्तमता दिक्षाम  
झारखण्ड, राँची  
मैलिंगलेटो 1954.....  
दिनांक 01.08.19.....

**झारखण्ड सरकार,**  
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।**

**प्रपत्र-'क'**

पदाधिकारी का नाम	- श्री महेश प्रसाद।
पदनाम	- वन क्षेत्र पदाधिकारी (सेवा निवृत)
श्रेणी	- राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)।
वेतनमान	- 9300.00—34800.00, ग्रेड पे—4200.00
पदस्थापन कार्यालय	- तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

क्र0 सं0	आरोप	आरोप की विवरणी		साक्ष्य	
1	2	3	4		
1	7,76,518.25 रु0 सरकारी राशि का लेखा समर्पित नहीं करना।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र को कैम्पा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में रबदा स्थायी पौधशाला में रख—रखाव हेतु निम्नवत राशि उपलब्ध कराई गई :—		1. माँग पत्र की छायाप्रति (अनु०—०१)।	
उपरोक्त राशि रु0 585518/- का लेखा वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित किये जाने के पश्चात माह फरवरी 2015 में जाचोंपरान्त 294796.75 रु0 का लेखा वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा समायोजित किया गया तथा शेष 290721.25 रु0 का लेखा त्रुटिपूर्ण होने के कारण समायोजित नहीं किया गया।					
		क्र0 सं0	चेक सं0	राशि	काय विवरण
		1	2	3	4
		1	003056 दि0 19.01.2015	321350.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख—रखाव हेतु
		2	003107 दि0 31.03.2015	264168.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख—रखाव हेतु
		कुल राशि		585518.00	
		इस बीच झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या रा०व०से०(रथा०) 07 / 2015—3871 व०प० दिनांक 20.			

07.2015 द्वारा श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के स्थान पर श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, का पदस्थापन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल के रूप में किया गया। श्री मुण्डा द्वारा दिनांक 27.07.2015 के अपराह्न में प्रभार ग्रहण किया गया। श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा नव पदस्थापित वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री मुण्डा को श्री महेश प्रसाद द्वारा समर्पित त्रुटिपूर्ण लेखा सुधार कर समर्पित करने हेतु कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू के पत्रांक 1313 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा भेजा गया (छायाप्रति संलग्न), जिसे श्री मुण्डा, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू श्री महेश प्रसाद को प्रमण्डलीय कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015 द्वारा भेजा गया (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त राशि का त्रुटिरहित लेखा समर्पित करने हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को निर्देश दिया, परन्तु लेखा सुधार कर वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

इस बीच माह अप्रैल 2015 से ही रबदा स्थायी पौधशाला में समापन/सम्पोषण कार्य निरंतर चलते रहने के कारण प्रतिबद्ध दायित्व (Committed Liability) का सृजन हो जाने के कारण इस कार्य के लिए अंततः कुल 405797.00 रुपये का चेक नये वन प्रमण्डल पदाधिकारी श्री एन०सी०एस० मुण्डा द्वारा

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, व्याघ्र परियोजना, पलामू का पत्रांक 1313 दिनांक 24.08.2015  
अनु०-०२

प्रमण्डलीय कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015  
अनु०-०३

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 द्वारा भी श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को निर्देश दिया, परन्तु लेखा सुधार कर वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

अनु०-०४A & 4B

प्रतिबद्ध दायित्वों के सृजन और कार्यों की समीक्षा के उपरान्त (मार्च 2015) में वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को दिया गया। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र पदाधिकारी को उनके जर्जर पड़े वन क्षेत्र पदाधिकारी आवास, मनातू की मरम्मति हेतु 80000.00 रु0 निम्नवत चेक के द्वारा दिये गये :—

क्र0 सं0	चेक सं0	राशि	काय विवरण
1	2	3	4
1	012172 दि0 16.02.2016	80000.00	आवास मरम्मति हेतु
2	012179 दि0 15.03.2016	200000.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु
3	012154 दि0 29.03.2016	205797.00	रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव हेतु
कुल राशि		485797.00	

इस प्रकार वर्ष 2015–16 में आवास मरम्मति एवं रबदा स्थायी पौधशाला में कार्य सम्पन्न करने हेतु वन अग्रिम के रूप में 485797.00 रु0 वन क्षेत्र पदाधिकारी को दिया गया। परन्तु दी गयी राशि का लेखा वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा (वित्तीय वर्ष 2014–15 की असमायोजित राशि 290721.25 रु0 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में दी गयी राशि 485797.00 रु0) कुल राशि 776518.25 रु0 कैम्पा खाता में जमा करने हेतु वन क्षेत्र पदाधिकारी को निर्देश दिया गया तथा अनेको बार स्मारित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा न तो लेखा समर्पित किया गया न ही कैम्पा खाता में 776518.25 रु0 जमा किया गया।

वर्तमान वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा दिनांक 18.07.2019 तथा 20.07.2019 को उपरोक्त राशि से कराये गये कार्यों की जांच की गयी। जांचोपरान्त जांच प्रतिवेदन वन

वन प्रमण्डल  
पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन

प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा उनके ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। जांच के क्रम में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा पाया गया कि स्थायी पौधशाला में वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में दी गयी राशि से नियमानुसार कार्य हुआ है तथा किसी भी मजदूर की मजदूरी बकाया नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा मनातू वन क्षेत्र कार्यालय की मरम्मति हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्गत राशि 80000.00 रु० से कराये गये कार्यों की भी जांच की गयी तथा जांच के क्रम में पाया गया कि निर्गत राशि से नियमानुसार कार्य सम्पन्न किया गया है। परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया है।

इस बीच दिनांक 19.07.2019 को श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र (अब सेवा निवृत), श्री एन०सी०एस० मुण्डा, तत्कालीन वन प्रगण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (अब वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल) तथा श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर (वर्तमान में वन प्रमण्डल पदाधिकारी—सह—निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग) को इस मामले में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर द्वारा जांच हेतु बुलाया गया। इस जांच के क्रम में सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए परन्तु मौका दिए जाने के बावजूद श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी (अब सेवा निवृत) द्वारा उक्त 776518.25 रुपये का लेखा न तो समर्पित किया गया और न ही लेखा समर्पित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सका। इस प्रकार श्री महेश प्रसाद,

प्रमण्डल का ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019 की छायाप्रति संलग्न (अनु०—०५)।

		तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र द्वारा 776518.25 रुपये का लेखा समर्पित नहीं किया गया है।	
2	उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करना।	<p>श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ने पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, 2278 दिनांक 15.05.2017, 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 द्वारा 776518.25 रु0 कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया, लेकिन आदेश का पालन वन क्षेत्र पदाधिकारी, श्री महेश प्रसाद द्वारा नहीं किया गया।</p> <p>इस प्रकार श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू वन प्रक्षेत्र ने न तो लेखा समर्पित किया और न ही उनके पक्ष में अवशेष राशि को कैम्पा खाता में जमा किया।</p> <p>अतः श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र के द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं करना सरकारी सेवक अचार नियमावली 1976 के धारा 3 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है।</p>	<p>वन प्र0पदा0 मे0 वन प्रमण्डल का पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 की छायाप्रति संलग्न (अनु9-6A, 6B, 6C &amp; 6D।</p>
3	कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना।	<p>श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा रबदा स्थायी पौधशाला के रख-रखाव एवं आवास मरम्मति हेतु कैम्पा खाता में 776518.25 रु0 की राशि दी गयी, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया। श्री प्रसाद को उपरोक्त राशि कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद द्वारा उपरोक्त राशि कैम्पा खाता में जमा नहीं की गयी। उन्हें राशि कैम्पा खाता में जमा करने हेतु अनेकों बार स्मारित किया गया, परन्तु श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा न तो लेखा</p>	<p>वन प्र0पदा0 मे0 वन प्रमण्डल का पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017 की छायाप्रति संलग्न (अनु9-6A, 6B, 6C &amp; 6D।</p>

	<p>समर्पित किया गया और न ही राशि कैम्पा खाता में जमा किया गया।</p> <p>अतः यह साफ दर्शाता है कि श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतते रहे।</p>	
--	---	--

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किये जाते हैं :—

1. 776518.25 रु० सरकारी राशि का लेखा समर्पित नहीं करना।
2. उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करना।
3. कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना।

#### आदेश :—

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल (अब सेवा निवृत) को आदेश दिया गया है कि उपरोक्त वर्णित आरोपों के संबंध में पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उचित माध्यम से समर्पित करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध एकतरफा निर्णय लेते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तारण कर दिया जायेगा।

#### अनु०—साक्ष्य तालिका।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
मेदिनीनगर।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू, मेदिनीनगर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
ज्ञारखण्ड, रांची।

सरकार के सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग,  
ज्ञारखण्ड, रांची।

29/07/19  
M.Malal

29/07/2019  
अ-उमा

29/07/2020  
अ-उमा

## साक्ष्य तालिका।

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू वन प्रक्षेत्र के विरुद्ध फर्जी प्रमाणक बनाकर कैम्पा योजना का 776518.25 रु० राशि गबन करने के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का साक्ष्य तालिका।

अनु० संख्या	पत्रांक, दिनांक	विवरण
1	2	3
1	दिनांक 17.01.2015	माँग पत्र की छायाप्रति।
2	1313 दिनांक 24.08.2015	छायाप्रति संलग्न।
3	पत्रांक 2576 दिनांक 25.05.2015	छायाप्रति संलग्न।
4	पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016	छायाप्रति संलग्न।
5	ज्ञापांक 2679 दिनांक 25.07.2019	छायाप्रति संलग्न।
6	पत्रांक 1694 दिनांक 03.04.2017, पत्रांक 2278 दिनांक 12.05.2017, पत्रांक 3698 दिनांक 20.07.2017 एवं पत्रांक 4332 दिनांक 24.08.2017	छायाप्रति संलग्न।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल,  
मेदिनीनगर।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू, मेदिनीनगर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, रांची।

सरकार के उप सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं  
जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड, रांची।

The Range Officer of Forests.

Range.

**THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION**

Sir.

23/12/1927, Ch 229 - 260/29.

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work <i>Rabha - 1. Hect.</i>	Amount Sanctioned <i>1</i>	Amount Available <i>2</i>	Amount Proposed be spent now <i>3</i>
1 Electricity 319R.11 209 6.71/51	26,560=50	26,560=50	26,560=50
2 C.P.T. 60 m/s 150 m/s 360 m/s	63,745=20	63,745=20	63,745=20
3 319 R.11 6.71/51 319 R.11 6.71/51 319 R.11 6.71/51 319 R.11 6.71/51	3,752.99=86	3,752.99=86	1,826.24=78
4 C.P.T. 14 1032 m/s	119911=89	119911=89	48211=89
			<u>3,913.50=18</u>
			3,913.50=18

I beg to add that have a cash balance or Rs. 14/- in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

*Mohammed Basar*

Your's faithfully

16/12/1927

Range Officers of Forests.

*Mohammed Basar* Range.

Memo No ..... / Dated .....

has the honour to enclose Forest Department Cheque No. 25025 dated 15/12/1927 for Rs. 135/- (Rs. one hundred and thirty five/-). The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

*Mohammed Basar*  
DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Dated 16/12/1927  
Enclosed the sum of Rs. 135/-

*Mohammed Basar*

The Range Officer of Forests  
Mamidi Range

To

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION.

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. One Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work	amount sanctioned	Amount available	Amount proposed be spent now.
1	2	3	4
1. Maintenance of current year & Advance war expenses Mamidi.			1,52,417/-
			6717/-
			2,64175/-

I beg to add that have a cash balance of Rs.....in my hand to day on receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Yours faithfully,

Makish Prater

Range Officers of Forests,

Mamidi Range.

Memo No..... / Dated.....

Has the honour to enclose Forest Department Cheque No. 313101 for Rs. 1,52,417/-

Dated..... for.....(Rs. 1,52,417/-). The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

Divisional Forest Officer,  
Medininagar Forest Division.

Received

Rs. 1,52,417/-

Cheque

No. A4. 303101

for one month

Dated 31.3.1915

Range Officers of Forests  
Medininagar Range

APPLICATION FOR THE ADVANCE OF  
FOR CURRENT EXPENDITURE

2015-16

(24)

The Range Officer of Forests.  
 Matangai Forest Range.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
 MEDININAGAR FOREST DIVISION

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
1	2	3	4
R.F.O. Gushor Repairing Mangtu.			80,000/-

Issue Cheque for Rs 80,000/- only  
15-02-16

Divisional Forest Officer  
Medinagar Forest Division, Medinagar

I beg to add that have a cash balance or Rs. .... in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Your's faithfully

*Makesh Prasad*

Range Officers of Forests.

Matangai Forest Range.

Memo No ..... / Dated .....

has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. 512172 dated 16-02-16 for Rs. Eighty Lakh only. The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

Received Cheque No-A/..... Dated .....  
Rs. .... only

DIVISIONAL FOREST OFFICER  
MEDININAGAR FOREST DIVISION  
Matangai Forest Range, Medinagar

*Makesh Prasad*  
Range Officers of Forests.  
Matangai Forest Range.

APPLICATION FOR THE ADVANCE OF

Rs. .... FOR CURRENT EXPENDITURE.

From. Rabha Forest Range Completion 15/16

The Range Officer of Forests.  
Mardinagar Forest Range.

To.

THE DIVISIONAL FOREST OFFICER,  
MEDININAGAR FOREST DIVISION

Sir

I have the honour to request the favour of your as advance of Rs. Current Expenditure in my Range as below:-

Particulars of Work	Amount Sanctioned	Amount Available	Amount Proposed be spent now
	2	3	4
<u>Rabha Forest Range Completion 15/16</u>			
1. Prick-outs Transplanting with watering	- - - - -	- - - - -	037,486.00
2. Hoeing & weeding etc	- - - - -	- - - - -	1,87,430.00
3. Roseau & Khas etc	- - - - -	- - - - -	090,534.00
4. Diesel Mobil Pump Repair	- - - - -	- - - - -	045,000.00 X
5. Poly bags Replant Sheet	- - - - -	- - - - -	020,582.00 X
6. Protection	- - - - -	- - - - -	06,841.95
7. Other expenses Tank mtn	- - - - -	- - - - -	015,622.90 X
8. Room Blower Tools etc	- - - - -	- - - - -	010,430.30. X
			41,057.97 15

I would add that have a cash balance of Rs. .... in my hand to day in receipt of the amount of the usual advance will be submitted.

Your's faithfully  
Mohish Prasad 16/3/03  
Range Officers of Forests.  
Mardinagar Range

Memo No ..... / Dated .....

has the honour to enclosed Forest Department Cheque No. .... dated ..... for .....  
(Rs. ....) The Range Officer is requested to return with his acknowledgement below enclosing the usual receipt for the advance.

DIVISIONAL FOREST OFFICER  
MEDININAGAR FOREST DIVISION Mardinagar

Received Cheque No-A/..... Dated ..... for .....  
Rs. .... only

Mohish Prasad 16/3/03  
Range Officers of Forests.  
Mardinagar Range

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल।

पत्र संख्या १३१३ मेदिनीनगर, दिनांक २५-६-२०१५

प्रेषक

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

विषय:-


कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि कैम्पा योजना से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज, मनातू एवं डालटनगंज वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा माह दिसम्बर, 2014 से जुन, 2014 तक के समर्पित लेखा के पारित करने की दिशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कर्णाकित योजनाओं में किये गये राशि का व्यय प्रमाणकों की योग्यताएवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गयी। त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं है।

अतः पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्रों के लेखा में पाई गई त्रुटि की बिन्दुवार विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपत्ति के बिन्दुओं से वन क्षेत्र पदाधिकारी को अवगत कराते हए लेखा में आवश्यक सुधार कर त्रुटि रहित लेखा एक सप्ताह के अंदर संधारण हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित किया जा सके। यह भी सूचित करना है कि यदि संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मामले पर यथा समय संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण प्रमाणकों को रद्द करते हुए शेष लेखा पारित करने की कार्रवाई के लिए संबंधित कैम्पा प्रभारी सहायक को निदेशित किया गया है।

विश्वासभाजन,

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष।

कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल।

पत्र संख्या १३१३ मेदिनीनगर, दिनांक २५-६-२०१५

प्रेषक

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष।

सेवा में

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

विषय:-

कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में।

महाषय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि कैम्पा योजना से संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज, मनातू एवं डालटनगंज वनरोपण प्रक्षेत्र द्वारा माह दिसम्बर, 2014 से जुन, 2014 तक के समर्पित लेखा के पारित करने की दिशा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन किया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी, पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्र द्वारा कर्णाकित योजनाओं में किये गये राशि का व्यय प्रमाणकों की योग्यताएवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गयी। त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से युक्तिसंगत नहीं है।

अतः पाटन, मोहम्मदगंज एवं मनातू प्रक्षेत्रों के लेखा में पाई गई त्रुटि की बिन्दुवार विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपत्ति के बिन्दुओं से वन क्षेत्र पदाधिकारी को अवगत कराते हए लेखा में आवश्यक सुधार कर त्रुटि रहित लेखा एक सप्ताह के अंदर संधारण हेतु अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित किया जा सके। यह भी सूचित करना है कि यदि संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मामले पर यथा समय संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में त्रुटिपूर्ण प्रमाणकों को रद्द करते हुए शेष लेखा पारित करने की कार्रवाई के लिए संबंधित कैम्पा प्रभारी सहायक को निदेशित किया गया है।

विश्वासभाजन,

*Chittaranjan  
25/6/15*  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष।

मनातु प्रक्षेत्र द्वारा कैम्पा योजना के समर्पित लेखा में पायी गयी त्रुटि

- ( 1. माह फरवरी,2015 में कुल 294796.75 रु0 का लेखा संधारित है, जबकि संबंधित प्रमाणक 294796.71 रु0 का है ।
2. वन क्षेत्र पदाधिकारी को स्थायी पौधाशाला के रख-रखाव मद में कुल 585518.00 रु0 क्रमशः मजदूरी 465.606.12 एवं सामग्री 119911.88 रु0 उपलब्ध कराया गया है, जबकि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी मद में 466579.45 एवं सामग्री मद में 118938.51 रु0 का व्यय किया गया है।
3. स्थायी पौधाशाला में किये गये व्यय कार्य इकाइ वार स्पष्ट नहीं किया गया है।
4. मजदूरों को मजदूरी के खाता के माध्यम से किये गये भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है ।
5. कोड़नी निकौनी, पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य के लिए माह अप्रैल से जुन तीन मजदूर, जुलाई से सितम्बर दो मजदूर एवं अक्टूबर से मार्च तीन मजदूरों को ही नियोजित किया जाना है, परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित माह फरवरी,2015 के लेखा के प्रमाणक संख्या—01,2,3,4,5, 12 एवं 13 तथा मार्च,15 के प्रमाणक 1,2,3 में उपरोक्त कार्यों के मानकों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से मजदूरों का नियोजन किया गया है।
6. संबंधित प्रमाणकों में सेवा शीर्ष अंकित नहीं किया गया है।
7. माह अप्रैल, 2014 से मई, 2014 तक सुरक्षा एवं अन्य कार्य नहीं कराया गया है, क्यों ?
8. पटवन कार्य हेतु डीजल का क्रय माह अक्टूबर,14 एवं दिसम्बर,14 में किया गया है। स्पष्ट है कि माह अक्टूबर के पूर्व पटवन का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्य के लिए कर्णाकित राशि का व्यय किसी अन्य मद में क्यों किया गया ?
9. वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु द्वारा कतिप्य राशि की निकासी अप्रैल 2015 में किया गया है परन्तु उन्होंने उक्त राशि का लेखा मार्च 2015 में ही समर्पित कर भुगतान दिखाया गया है।

*26/3/15*  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, व्याघ परियोजना, पलामू।

पत्रांक २५/१

(20)

कार्यालय: वन प्रमण्डल पर्दाधिकारी  
वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

Email-Home.diningo@forests.nic.in

दिनीनगर

Phone No-06582-222536

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वनक्षेत्र पदाधिकारी, (नाम से)  
मनातु प्रक्षेत्र।

विषय:-

कैम्पा योजना के लेखा के संबंध में।

प्रसंग:-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल का पत्रांक  
1313 दिनांक 24.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त, विषयक सूचित करना है कि कैम्पा योजना का माह फरवरी 2015 से मार्च 2015 तक के आपके द्वारा समर्पित लेखा को प्रमण्डलीय लेखा में समायोजन हेतु पारित करने पूर्व तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल द्वारा अवलोकन/जांच किया गया। जांच क्रम में आपके द्वारा समर्पित लेखा के साथ संलग्न प्रमाणकों की योग्यता एवं लेखा के संधारण में त्रुटि पायी गई है, फलतः त्रुटिपूर्ण लेखा को पारित किया जाना युक्तिसंगत नहीं है।

तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल सम्प्रति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू व्याघ्र आरक्ष प्रमण्डल के प्रासांगिक पत्र द्वारा लेखा से संबंधित त्रुटि की विवरणी की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए निदेशित करना है कि लेखा से संबंधित आपत्तित बिन्दुओं का निराकरण तीन दिनों के अन्दर सुनिश्चित करें, ताकि त्रुटि रहित लेखा को पारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अन्यथा आपके द्वारा समर्पित लेखा से संबंधित प्रमाणकों को अमान्य करते हुए आपके पक्ष में अवशेष दर्ज कर लिया जाएगा।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनु०—यथोक्त !

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पर्दाधिकारी

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर

२५/१  
२५/१/१५

1. माह फरवरी, 2015 में कुल 294796.75 रु0 का लेखा संधारित है, जबकि संबंधित प्रमाणक 294796.71 रु0 का है।

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी को स्थायी पौधाशाला के रख-रखाव मद में कुल 585518.00 रु0 क्रमशः मजदूरी 465.606.12 एवं सामग्री 119911.88 रु0 उपलब्ध कराया गया है। जबकि वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा मजदूरी मद में 466579.45 एवं सामग्री मद में 118938.51 रु0 का व्यय किया गया है।

3. स्थायी पौधाशाला में किये गये व्यय कार्य इकाइ वार स्पष्ट नहीं किया गया है।

4. मजदूरों को मजदूरी के खाता के माध्यम से किये गये भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

5. कोड़नी निकौनी, पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य के लिए माह अप्रैल से जुन तीन मजदूर, जुलाई से सितम्बर दो मजदूर एवं अक्टूबर से मार्च तीन मजदूरों को ही नियोजित किया जाना है, परन्तु वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा समर्पित माह फरवरी, 2015 के लेखा के प्रमाणक संख्या—01, 2, 3, 4, 5, 12 एवं 13 तथा मार्च, 15 के प्रमाणक 1, 2, 3 में उपरोक्त कार्यों के मानकों का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से मजदूरों का नियोजन किया गया है।

6. संबंधित प्रमाणकों में सेवा शीर्ष अंकित नहीं किया गया है।

7. माह अप्रैल, 2014 से मई, 2014 तक सुरक्षा एवं अन्य कार्य नहीं कराया गया है, क्यों?

8. पटवन कार्य हेतु डीजल का क्रय माह अक्टूबर, 14 एवं दिसम्बर, 14 में किया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि माह अक्टूबर के पूर्व पटवन का कार्य नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित कार्य के लिए कर्णाकित राशि का व्यय किसी अन्य मद में क्यों किया गया?

9. वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातु द्वारा कतिष्य राशि की निकासी अप्रैल 2015 में किया गया है परन्तु उन्होंने उक्त राशि का लेखा मार्च 2015 में ही समर्पित कर भुगतान दिखाया गया है।

*Chittishw  
20/8/15*  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
कोर एरिया, व्याघ परियोजना, पलामू।

## चपरासी बही

टिप्पणी :— प्रतिदिन के प्रारंभ में तारीख और यदि आवश्यकता हो तो चपरासी का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें।

किसके प्रति	संलग्नों के साथ पत्र व्यवहार की संख्या और तारीख	प्राप्तियां
<del>(1) गन्धी ज. श.</del>	<del>9543, 9553</del>	<del>3</del>
<del>(2) गन्धी ज. श.</del>	<del>9543, 9571 विपक्ष पार्टी 958405</del>	<del>पार्टी 4015</del>
<del>(3) गन्धी ज. श.</del>	<del>9543, 9571 Shabu 95325</del>	<del>Shabu 24/8/15</del>
<del>(4) गन्धी ज. श.</del>	<del>9599, 95959 926 9591, 9592 9597 95AA, 95A0 9536 9532, 9588 9561 9593, 9590 9560</del>	<del>Billing 27/8/15 B.O</del>
<del>(5) गन्धी ज. श.</del>	<del>9553</del>	<del>Shabu 24/8/15</del>
<del>(6) गन्धी ज. श.</del>	<del>9557</del>	<del>Shabu 24/8/15</del>

**कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर**  
**वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।**

Email->medininagarforestdivision@gmail.com

Page No. १०८ / १०८

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मनातु प्रक्षेत्र।

मेदिनीनगर, दिनांक ३०/११/०४

विषयः-

कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला के रखरखाव हेतु वितीय वर्ष 2014-15 गे व्यय राशि के विरुद्ध समर्पित लेखा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त संदर्भ में सूचित करना है कि वितीय वर्ष 2014-15 में कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला रबदा १ हे० के रख-रखाव हेतु क्रमशः चेक सं- 003056 दिनांक 19.01.2015 एवं चेक सं- 003107 दिनांक 31.03.2015 द्वारा क्रमशः 321350.00 एवं 264168.00 रु० उपलब्ध कराया गया था।

उपरोक्त उपलब्ध करायी गई राशि की निकासी प्रमण्डलीय कैम्पा लेखा सं- 621202010000512 से दिनांक 21.01.2015 को चेक सं- 003056 दिनांक 19.01.2015 की राशि 321350.00 रु० एवं दिनांक 07.04.2015 को चेक सं- 003107 दिनांक 31.03.2015 की राशि 264168.00 रु० हुई हैं। संबंधित राशि के विरुद्ध व्यय राशि का आपके द्वारा माह फरवरी 2015 एवं मार्च 2015 में लेखा संधारित कर समर्पित किया गया। प्रमण्डल द्वारा आपके पक्ष में निर्गत चेक सं- 003107 दिनांक 31.03.2015 की राशि की निकासी आपके द्वारा प्रमण्डलीय कैम्पा लेखा से दिनांक 07.04.2015 को की गई है फलतः उक्ता राशि का व्यय माह मार्च 2015 में ही किये जाने पर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा आपति दर्ज करते हुये माह मार्च 2015 को आपके द्वारा समर्पित लेखा के प्रमाणकों को पारित नहीं किया गया। विषयक मामले में तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा की गई आपति से आपको इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.08.2015 द्वारा अवगत कराते हुये त्रुटि का निराकरण हेतु निदेशित किया गया।

खेद के साथ सूचित करना है कि आपके स्तर से बरती गई वितीय अनियमितता को गम्भीरता से नहीं लिया गया तथा वर्तमान तिथि तक स्थिति यथावत है।

(16)

झातव्य हो कि आपके द्वारा माह मार्च 2015 के समर्पित लेखा के साथ समर्पित प्रमाणको को पारित करने की कार्रवाई नहीं करते हुये प्रमण्डलीय लेखा तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा संधारित एवं पारित किया जा चुका है आपके द्वारा माह मार्च 2015 के समर्पित लेखा में पायी गई त्रुटि के कारण तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।

उपरोक्त स्थितियों में आपके विरुद्ध कुल 290721.25 रु० की राशि का लेखा पारित नहीं होने के कारण उक्त राशि आपके पक्ष में रोकड़ शेष के रूप में यथावत है जो आपसे वसूलनीय है।

अतः आप स्पष्ट करें कि गलत ढंग सें लेखा का संधारण कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को अंधकार में रख कर लेखा पारित करने हेतु क्यों समर्पित किया गया? क्यों नहीं समुचित राशि का व्यय को अमान्य करते हुये उक्त राशि आपसे वसूल कर गलत लेखा संधारण कर नियंत्री पदाधिकारी को गुमराह करना एवं विषयक मामले के संदर्भ में सूचित किये जाने के बावजूद भी गम्भीरता से त्रुटि का निराकरण न करने के लिए आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जाय? विषयक संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अन्दर समर्पित करें अन्यथा उल्लेखित कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर  
*23.11.15*  
*30.11.15*

# चपरासी बही

टिप्पणी : प्रतिदिन के ग्राहन में तारीख और यदि आवश्यकता हो तो चपरासी का नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें।

किसके प्रति	सलग्नों के साथ पत्र व्यवहार की संख्या और तारीख	प्राप्तियाँ
20/11/15	2	3
(2) गढ़ वाला व्यवहार नाम	3402 3405	31/12/15 तारीख 01-12-2015
(2) गढ़ वाला व्यवहार नाम	3402	31/12/15 तारीख 01-12-2015
(2) गढ़ वाला व्यवहार नाम	3402 3501	01/12/15 तारीख 01-12-2015
(2) गढ़ वाला व्यवहार नाम	3402	31/12/15 तारीख 01-12-2015
(2) गढ़ वाला व्यवहार नाम	3402, 3502 3406	01/12/15 तारीख 01-12-2015

वन विभाग, झारखण्ड — मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

कैम्पा योजना के तहत माह—मार्च, 2016 में ठीकेदार और संवितरक के खाते में की गई प्रविष्टियों का सार।

क्र. सं.	नाम और परिवेश	कार्य	विभाग का देना		विभाग का पावता	देय शेष	ट्रैकेटर—द्वारा संवितरक	ट्रैकेटर—द्वारा संवितरक	किस पार्श्व से आकी पड़ी है ?
			पिछले मास का देय शेष	एकाइ-पर्ही					
1	Sri A. K. Singh, R.O.F. Chhatarpur, East Range	पिछले मास का एकाइ-पर्ही की गई इस मास में की गई जाइ बही की आकलन मर्दों की संख्या किए गए कार्यों का मूल्य	3	4	5	6	7	8	9
2	Sri Bindu Kumar Vishwakarma, ROF, Kundri	पिछले मास का एकाइ-पर्ही की विकलन की गई अपूर्ति या मर्दों की संख्या किए गए कार्यों का मूल्य	0	0.00	0	582646.00	582646.00	0.00	0
3	Sri Mahesh Prasad, R.O.F. Manali Range	पिछले मास का एकाइ-पर्ही की विकलन की गई अपूर्ति या मर्दों की संख्या किए गए कार्यों का मूल्य	0	0.00	0	2054125.63	2054125.63	509606.26	0
4	Sri J.B. Thakur, R.O.F. Patan	पिछले मास का एकाइ-पर्ही की विकलन की गई अपूर्ति या मर्दों की संख्या किए गए कार्यों का मूल्य	0	0.00	0	1188987.25	1188987.25	290724.25	0
5	Sri Birju Bhagat, R.O.F. Mohammadganj	पिछले मास का एकाइ-पर्ही की विकलन की गई अपूर्ति या मर्दों की संख्या किए गए कार्यों का मूल्य	0	0.00	0	559167.00	559167.00	0.00	0
6	Sri Kumar Narendra, R.O.F. Chailpur	पिछले मास का एकाइ-पर्ही की विकलन की गई अपूर्ति या मर्दों की संख्या किए गए कार्यों का मूल्य	0	0.00	0	549462.72	549462.72	1187212.00	0
7	Sri Vinay Kumar Bhagat, R.O.F. Daltonganj Aff.	पिछले मास का एकाइ-पर्ही की विकलन की गई अपूर्ति या मर्दों की संख्या किए गए कार्यों का मूल्य	0	0.00	0	2383132.80	2383132.80	1239406.64	0
<b>Grand Total :-</b>			0.00	6758354.40	6758354.40	4068856.85	8926404.00	12995260.85	6236906.45
									0.00

Office of the Divisional Forest Officer, Medinagar Forest Division, Medinagar.

Memo No. २१९२ Dated-

Submitted to the Conservator of Forests, Territorial Circle, Medinagar for information & necessary action.

Divisional Forest Officer,

Medinagar Forest Division.



# कार्यालयः वन प्रमण्डल

प्रेकारी, मेदिनीनगर वन

प्रमण्डल, मादनीनगर।

Email-dfomedininagarforestdivision@gmail.com & dfo-medininagar@gov.in

Phone No-06562-222536

पत्रांक— दिनांक—

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल  
सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय:-

रबदा स्थायी पौधशाला का जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के मौखिक निर्देश के आलोक में दिनांक 18.07.2019 को रबदा स्थायी पौधशाला के निरीक्षण के क्रम में रबदा ग्राम में संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन समिति की बैठक की गयी, जिसमें ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राम एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा स्थाई पौधशाला रबदा में कार्य कराये जाने की पुष्टि की गयी जिसकी अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अभिप्राणित प्रति संलग्न। तत्पश्चात दिनांक 20.07.2019 को अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के क्रम में वन क्षेत्र प्रागण, मनातू में ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं ग्रामीणों द्वारा एक स्वर में इस बात को प्रमाणित किया गया कि वर्ष 2015-16 में वन क्षेत्र पदाधिकारी का आवास मरम्मति का कार्य यथा बली बदलना एवं सफेदी का कार्य किया गया था इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनातू वन क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय-सह-आवास का आवंटन के अनुरूप कार्य सम्पन्न कराया गया है। जिसकी अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्राणित प्रति संलग्न है।

मनातू प्रक्षेत्र अन्तर्गत रबदा स्थायी पौधशाला में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक पौधें उगाये यथा पौधशाला का कार्य सम्पन्न कराये गये हैं। इससे संबंधित कार्यालय अभिलेख अवलोकन से तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त पौधशाला संबंधित प्रतिवेदन की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

40/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

ज्ञापांक- २६७९ दिनांक- २५.७.२०१९

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर की सेवा में अनुलोन की प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल  
२५.७.२०१९

पंच संख्या २५/

कार्यालयः—वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

सेवा में,

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मनातू प्रक्षेत्र।

विधयः—

कैम्पा के तहत संचालित स्थायी पौधशाला के रख—रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय राशि से संबंधित समर्पित लेखा के संबंध में।

प्रसंगः

इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.8.2015 एवं 3495 दिनांक 30.11.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का निदेश करे। कैम्पा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में आपके प्रक्षेत्राधीन स्थायी पौधशाला रखदा के रख—रखाव हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि के व्यय के पश्चात् संधारित लेखा में पायी गयी त्रुटि से संबंधित बिन्दुओं पर इस कार्यालय के पत्रांक 2576 दिनांक 25.8.2015 द्वारा अवगत कराते हुए निराकरण हेतु निदेशित किया गया था। संबंधित मामलों में इस कार्यालय के पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 द्वारा स्मारित किये जाने के बादजूद भी आपके द्वारा अब तक संबंधित त्रुटिपूर्ण लेखा के निराकरण हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि आपके विरुद्ध त्रुटि युक्त कुल 290721.25 रु० के प्रमाणकांडों को तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है तथा उक्त राशि आपके पक्ष में प्रमण्डलीय लेजर में रोकड़ शेष के रूप में यथावत है।

अतः अंतिम रूप से आपको स्मारित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त राशि से संबंधित त्रुटि रहित लेखा समर्पित नहीं किया जाता है तो संबंधित राशि की वसूली आपसे करते हुए बरती गयी अनिवार्यता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का अवहेलना के लिए आपके विरुद्ध यथा आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

नं। ११४

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

३१/१८

account/418

३१

आज दिनांक 18/07/2019 को रजनीकांत आगे वों (11)  
संचयुक्त आगे लेन प्रबन्धण समिति का बैठक  
राजेन्द्र शर्म लेन समिति के अधिग्रहों के अध्यक्षता  
में किया गया जिसमें उपरिकृत आमीणी का  
इस्ताहार निम्नलिखित है।

२१ जून (२३)  
लेन समिति अध्यक्ष शर्मा

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ① कमावती हैरी       | १५ भद्र किशोर राम   |
| २ दीराँवी           | १६ राम दोषनाथ       |
| ३ समीय हैरी         | १७ आशा हैरी         |
| ४ राम पासवान        | १८ आरु पापा सराम    |
| ५ चंद्रा हैरी       | १९ महेन्द्र पासवान  |
| ६                   | २० राम कुमार        |
| ७ श्रीभर्ती हैरी    | २१ Rakesh Kumar     |
| ८ अरुषल पापा कुमार  | २२ Mukesh Kumar     |
| ९ सुचिता हैरी       | २३ Raju.            |
| १० लीला हैरी        | २४ Gudookumar       |
| ११ नर्मिनाही        | २५ अशुद्ध शर्मा     |
| १२ पुजा हैरी        | २६ Ashwadhar Ky.    |
| १३ सुरेन्द्र पासवान | २७ एटली             |
| १४ फंद्रा कुमार     | २८ विमोद पासवान     |
|                     | २९ राजेन्द्र पासवान |

(9)

બ્રાહ્મણ પ્રદીપ, ૧૦ વિનોદ સ્ટેડિયુનિવેસિટી

શ્રી મતી હાઇલેન્ડ્સ રોડ બેંગલૂરુ ೨೧೧૫ ના કોડનાંથી એ

અનુભવ કરું જે કે આ પ્રદીપ નિયમિત વિનોદ

કોડનાંથી કરું જે એ કોડ વિનોદ વિનોદ પ્રદીપનાંથી એ

ના એ વર્ષ ૨૦૧૫/૧૬ સ્થાની પ્રદીપ એ એ મનુષ્યનાંથી એ

જે એ કોડ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

૧) બ્રાહ્મણ પ્રદીપ  
બેંગલૂરુ ૨૧૧૫ ના કોડનાંથી

એ એ એ એ

૨) બ્રાહ્મણ

૩) બ્રાહ્મણ

૪) બ્રાહ્મણ

૫) બ્રાહ્મણ એ જાળ

૬) બ્રાહ્મણ એ

૭) બ્રાહ્મણ એ

૮) બ્રાહ્મણ એ

૯) બ્રાહ્મણ એ

૧૦) બ્રાહ્મણ

૧૧) બ્રાહ્મણ એ

૧૨) બ્રાહ્મણ

૧૩) બ્રાહ્મણ

૪૪  
ના એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

(10)

(30) अंगूष्ठी विषयालय  
अंगूष्ठी

(31) श्रीलक्ष्मी पवनालय

(32) दीपा कुमारी

(33) गणेशालय

(34) पद्मोपराम

समिति प्रसारित करती है कि वह

2015-16 में स्थायी प्रधानालय रखता

ग्राम में घुकआउल, कोडली लिकोनी, सुखा

आदि सभी कार्यों का अध्ययन किया जाया औ

और आज की तिथि में कोई सभी घटनाएँ भूलान

मिलते नहीं हैं।

राजीवलल

वन समिति अध्यक्ष

राजता, गोपा

पा.  
परमहंस योगी  
परमहंस योगी

१०११६ प्रकाश अनुदान विभाग नं ५८ ना १५ २०११-१२ से २०१५-१६ तक वर्षवार गोंधों की विक्री एवं विभागीय कारों में खपत से प्राप्त राजस्व का विवरण।

रख.	निला का नाम	प्रखण्ड प्रधानी का नाम	विभागीय प्रधानाला का रक्षा का रक्षा वर्ष का चलूँ वर्ष में अन्य क्षेत्र का तैयार किये गये गोंधों आवश्यक पीढ़ी	विभागीय उपयोग में लाये गये विक्री किये गये	विभागीय कारों में खपत से प्राप्त राजस्व का विवरण।													
					मुगतान करने के 1.57 प्रति पौधा की दर	प्राप्त राजस्व	पौधों की संख्या	प्राप्त राजस्व	अन्य दौत्र प्रमाणल को	कुल खपत पौधों	अवशेष पौधों	प्राप्त राजस्व						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2011 - 12	पलमू गरी	मानव. गरी	१८० १८०	२०,००० १००,०००	१००,००८	-	१,२०,०००	-	-	-	२०,०००	३१४,०००	-	२०,०००	१,००,०००	३१,४००,००	विनांक ३१.०३.२०११ को शालान द्वारा ३१४,००० रुपये किया गया।	
2012 - 13																	धेक ३०-३१, विनांक ३१.०३.२०१२ द्वारा १२००,००० रुपये किया गया।	
2013 - 14																		
2014	गरी	तही	१८०	१८०	१८०,१८	१८०,१८	-	२,३९,२००	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015 - 15	गरी	तही	१८०	१८०	१८०,२००	१८०,२००	-	३,९९,२००	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015 - 16	गरी	गरी	१८०	१८०	३९९,२००	३९९,२००	-	४,९९,२००	-	-	-	८,०००	१२,०००,००	-	४,९१,२००	१२,०००,००	दिनांक १५.०३.२०१५ को इन प्रमाणल के लिया गया विभागीय प्रधानाला का खपत १२०००,०० रुपये भविनीनगर वन प्रमाणल के लिया गया १२०००,०० रुपये किया गया।	

  
 वन प्रमाणित प्रदातिकारी,  
 भविनीनगर वन प्रमाणल।

पंच राखणा

## तालियः—वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

सेवा में,

- 1—श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मनातू प्रक्षेत्र ।
- 2—श्री बिरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र ।
- 3—श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
चैनपुर प्रक्षेत्र ।

मेदिनीनगर, दिनांक

विषयः— माह मार्च, 2016 के कैम्पा योजना का लेखा वही के आधार पर आपके पक्ष में नवि राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में।

प्रसंगः— माह मार्च, 2016 का लेखा—वही (Ledger) दिनांक 01.4.2016  
महाशय.

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि मार्च, 2016 का कैम्पा लेखा—वही (Ledger) का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपके वन अग्रिम के साथ स्वीकृत राशि का कतिपय कारणों से लेखा समायेजन नहीं होने के आपके पक्ष में अवश्य राशि परिदर्शित हो रहा है, जो निम्नवत् है—

क्र0स0	वन क्षेत्र पदार्थ का नाम	प्रभार क्षेत्र का नाम	समायोजन हेतु लंबित राशि	कब लंबित	से अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री महेश प्रसाद	मनातू प्रक्षेत्र	775518.25	मार्च, 2016	
2	श्री बिरिया भगत	मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र	559167.00	मई, 2015	
3	श्री कुमार नरेन्द्र	चैनपुर प्रक्षेत्र	1219077.28	अप्रैल, 2016	

उपरोक्त तालिका का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त राशि अपिक पक्ष में विगत कई वर्षों से लंबित है, जो दिक्षीय अनेकमितता है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को कैम्पा के खाता में जमा करालान की प्रति इस कार्यालय में समर्पित किया जाए, ताकि सरकारी राशि का समायोजन किया जा सके।

विश्वासभजन,


४०/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल ।

६

ज्ञापाक । ६९॥ दिनांक २५/११/

प्रतिलिपि:- कैस्पा प्रभारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक सु प्रेषित। निर्देश है कि इस तरह को कोई राशि मनरेगा, एफ०डी०ए० अथवा कार्य योजना (IAP) एवं अन्यान्य गद में वन क्षेत्र पदाधिकारी के पक्ष में राशि उदाशाख जमा करने का निर्देश दिया जाए तथा प्रत्येक 15-20 दिन में राशि जमा करने हेतु पत्र दिया जाए।

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल।

(5)

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

प्रेषक,

पत्रांक-२८८ दिनांक- २५/३/१७

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,  
मेदिनीनगर।

रोवा में,

- (1) श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र।
- (2) श्री विरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र।
- (3) श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र।

विषय:-

कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक- 1694 दिनांक- 03.04.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

अतः पुनः निर्देश दिया जाता है कि आपके पक्ष में लम्बित राशि कैम्पा खाता में शीघ्र जमा कर चलाने की प्रति इस कार्यालय को समर्पित करें, ताकि राशि का समायोजन किया जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

२५.३.१७

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल  
मेदिनीनगर।

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

प्रेषक,

पत्रांक-३६७८ दिनांक- २०/२१/१८

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा में,

- (1) श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र।
- (2) श्री विरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र।
- (3) श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र।

विषय:-

कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक- 1694 दिनांक- 03.04.2017 एवं 2278 दिनांक- 12.05.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासांगिक पत्रों द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लम्बित राशि को कैम्पा खाता में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक- 20.07.2017 तक राशि कैम्पा बैंक खाता में निश्चित रूप से जमा करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है।

अतः पुनः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर आपके पक्ष में लम्बित राशि कैम्पा खाता में जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय को समर्पित करे। अन्यथा आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रारूप उच्चाधिकारी को भेज दी जायेगी।

इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

२०.५.१८

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,  
मेदिनीनगर।

(3)

कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

प्रेषक,

पत्रांक- १६३७ दिनांक- २५/४/१७

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

सेवा मे.

- (1) श्री महेश प्रसाद,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र।
- (2) श्री दिरिया भगत,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, मोहम्मदगंज प्रक्षेत्र।
- (3) श्री कुमार नरेन्द्र,  
वन क्षेत्र पदाधिकारी, चैनपुर प्रक्षेत्र।

विषयः-

कैम्पा योजना का लेजर लेखा के आधार पर आपके पक्ष में लंबित राशि र कैम्पा खाता में जमा करने के संबंध में

प्रसंगः-

इस कार्यालय का पत्रांक- 1694 दिनांक- 03.04.2017, 12.05.2017 एवं 3698 दिनांक- 20.07.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा कैम्पा योजना के लेजर लेखा के आध पर आपके पक्ष में लंबित राशि को बैंक खाता में जमा करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-ब स्मारित किया जा रहा है, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं र गयी।

अतः पुनः अंतिम बार स्मारित करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति दो दिनों के अन्दर आपके पक्ष में लंबित राशि जमा कर चलान की प्रति इस कार्यालय समर्पित करें, अन्यथा आपके पक्ष में लंबित राशि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़क आपके घिरद्द विभागीय कार्यवाही का प्रांरूप उच्चाधिकारियों को भेज दी जायेगी।

इसे अति आवश्यक एवं अंतिम स्मार समझें।

विश्वासभाजन,

२५.४.१७

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,  
मेदिनीनगर।

२५/४/१७  
२५/४/१७  
२५/४/१७

# कार्यालय :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर।

पत्रांक 2576 दिनांक 26.07.19

प्रेषक,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,  
पलामू मेदिनीनगर।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

**विषय :—** श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कैम्पा योजना अन्तर्गत 776518.25 रु0 की राशि से कराये गये कार्यों का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.07.2019 को 10.00 बजे पूर्वाहन में श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल सम्प्रति चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा, श्री अनिल कुमार मिश्रा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी सम्प्रति निदेशक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग तथा श्री महेश प्रसाद तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू सम्प्रति सेवा निवृत को क्षेत्रीय कार्यालय कक्ष पलामू में वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में रबदा स्थायी पौधशाला तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी के आवास—सह—कार्यालय की मरम्मति हेतु निर्गत राशि का लेखा समर्पित नहीं करने के संबंध में जांच के लिये बुलाया गया। उक्त तीनों पदाधिकारी दिनांक 19.07.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, पलामू में उपस्थित हुये। इनके अलावा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, श्री कुमार आशीष भी मौजूद थे। सर्वप्रथम श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी से लेखा के संबंध में पूछ—ताछ किया गया। श्री महेश प्रसाद, सेवा निवृत वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू प्रक्षेत्र का कहना था कि उसने वित्तीय वर्ष 2014–15 का 290721.25 रु0 का लेखा सुधार कर प्रमण्डलीय कार्यालय मेदिनीनगर में समर्पित किया था। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्गत राशि 485797.00 रु0 का लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया था। इस पर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल श्री मुण्डा एवं श्री मिश्रा का कहना था कि उसने लेखा समर्पित किया था लेकिन त्रुटिपूर्ण होने के कारण लेखा श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू को सुधार कर समर्पित करने के निर्देश के साथ लौटा दिया गया, जिसे श्री महेश प्रसाद द्वारा वापस समर्पित नहीं किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा श्री महेश प्रसाद को प्रमण्डलीय पत्रांक 2576 दिनांक 25.08.2015, पत्रांक 3495 दिनांक 30.11.2015 एवं पत्रांक 74 दिनांक 09.01.2016 द्वारा

गारित किया गया, परन्तु श्री महेश प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित नहीं किया गया। इस पर श्री महेश प्रसाद इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया है।

श्री महेश प्रसाद को लेखा समर्पित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो उन्होंने लिखित में दो दिन का समय मांगा (छायाप्रति संलग्न) इस संबंध में उन्हें दो दिन का समय दिया गया, परन्तु निर्धारित अवधि में श्री महेश प्रसाद द्वारा लेखा समर्पित करने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया और न ही लेखा समर्पित किया गया। उनके द्वारा केवल कैश कॉपी की छायाप्रति संलग्न करते हुये प्रतिवेदन दिया गया है, जिसके साथ भाउचर नहीं है। अतः यह लेखा मान्य नहीं है। (छायाप्रति संलग्न) इस प्रकार यह बात सिद्ध होती है कि श्री प्रसाद द्वारा लेखा प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया।

श्री नरेश चन्द्र सिंह मुण्डा, तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी सम्प्रति चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल से इस कार्यालय पत्रांक 1955 दिनांक 19.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूछा गया कि जब श्री महेश प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 का 290721.25 रु0 का लेखा समर्पित नहीं किया गया था तो उन्होंने श्री महेश प्रसाद को 485797.00 रु0 की राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में देने का क्या औचित्य था। इस पर श्री मुण्डा द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 2060 दिनांक 20.07.2019 द्वारा उत्तर समर्पित किया है (छायाप्रति संलग्न)। श्री मुण्डा द्वारा स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उनका पदरथापन झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या र0व0से0 (रथा0) 07/2015–3871 व0प0 दिनांक 20.07.2015 के द्वारा मेदिनीनगर वन प्रमण्डल में किया गया तथा उन्होंने 27.07.2015 के अपराह्न में प्रभार ग्रहण किया। चूंकि पौधशाला का कार्य माह अप्रैल 2015 से ही चालू था तथा प्रतिबद्ध दायित्व का सृजन पूर्व से हो रखा था। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि प्रभार ग्रहण के उपरान्त प्रमण्डल एवं प्रमण्डल में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारियों की गति विधियों को परखने एवं समझते—समझते श्री प्रसाद तत्कालीन वन क्षेत्र पदाधिकारी मनातू द्वारा कुल 405797.00 रु0 का सम्पोषण कार्य का प्रतिबद्ध दायित्व का सृजन कर लिया गया था।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी का मनातू स्थित आवास अत्यंत जर्जर स्थिति में था, इसकी मरम्मति अतिआवश्यक था इसलिए वन क्षेत्र पदाधिकारी, मनातू के आवास की मरम्मति हेतु 80000.00 रु0 का चेक दिया गया था, ताकि श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी को क्षेत्र मुख्यालय में रहने के लिए बाध्य किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने स्थायी पौधशाला में अवशेष पौधों को बचाने, गरीब मजदूरों की मजदूरी भुगतान, लोकहित एवं विभाग के छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए श्री महेश प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी के पक्ष में 290721.25 रु0 असमायोजित राशि रहते हुए कुल 485797.00 रु0 चे निर्गत किया था। श्री मुण्डा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तर्कसंगत लगता है।